National Trust Act - 1999

ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अधिनियम और इनके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार के लिए।

यह पूरे भारत में फैला हुआ है। जो जम्मू और कश्मीर राज्य की अपेक्षा करता है।

"राष्ट्रीय न्यास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु अधिनियम (1999 के अधिनियम 44) के तहत की गई है।

नेशनल ट्रस्ट के उद्देश्य:

इस न्यास का मूल उद्देश्य इस तरह की विकलांगता के शिकार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना

है जिससे वे यथासंभव स्वतंत्र रूप से जी सकें। न्यास जरूरत के अनुसार सेवाएँ प्रदान करने वाले पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करता है और जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षक नियुक्त करने की प्रक्रियाँ तय करता है।

राष्ट्रीय न्यास द्वारा बहु-विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएँ :-

बाल्य-कालिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना -

① यह योजना 0-10 वर्ष के आयु-समूह वाले बच्चों के लिए है।

② चिकित्सा, प्रशिक्षण और बच्चे के परिवार के सदस्यों के लिए सहायता प्रदायगी का प्रावधान है।

③ दिन में कम से कम चार घंटे दिव्यांगजनों की देखभाल सुविधा प्रावधान।

(4) २० बच्चों पर एक बैंच।

पंजीकृत संस्था को एल आई जी. और एल आई जी से ऊपर के दिव्यांगजनों के लिए 1:1 का अनुपात बनाना आवश्यक है। यह योजना जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में उपलब्ध है।

योजना का विवरण -

(i) दिन में देखभाल =

पंजीकृत संस्था द्वारा दिन में कम से कम ५ घंटे देखभाल होनी चाहिए एवं महीने में २१ दिनों की उपलब्धि रहनी चाहिए।

(ii) स्टाफिंग =>

केन्द्र में दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षकों अथवा अर्ली इन्टरवेन्शन थेरेपिस्ट, फीजियो थेरेपिस्ट अथवा ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट और काउंसलर तथा देखभालकर्ता और आया की व्यवस्था होनी चाहिए।

इन केन्द्रों में शारीरिक प्रशिक्षक और स्पीच थेरेपिस्ट की व्यवस्था भी वांछनीय है।

स्टाफ के संबंध में निम्नलिखित आवृत्ति अथवा समय-सारिणी का पालन किया जाना चाहिए।

क्रमसंख्या	स्टाफ की संख्या	प्रतिमाह अपेक्षित आवृत्ति अथवा दौरे की न्यूनतम संख्या
1- विशेष शिक्षक/अली इन्टरवेन्शन थेरेपिस्ट	1	प्रतिदिन
2. फीजियोथेरेपिस्ट अथवा आक्युपेशनल थेरेपिस्ट	1	सप्ताह में 3 बार
3- काउंसलर	1	सप्ताह में 3 बार
4. देखभाल-कर्ता	1	प्रतिदिन
5- आया	1	प्रतिदिन